D. M. K Jha.
Dept of Sociology
V.S.J college,
Rajnagar

B.A Part-III
Sociology 'Hons'
Paper-V.
Kinship, Marriage & Family

Question- अन्तर्विवाह (Endogamous) पर एक लेख लिखिए।

Ans- अन्तर्विवाह विवाह सम्बन्ध स्थापित करने के एक सामाजिक-सांस्कृतिक नियम है जिसके अन्तर्गत प्रत्येक वर्ण एवं जाति को अपनी ही वर्ण, जाति एवं उपजाति में विवाह करने की अनुमति मिलती है।

अन्तर्विवाह वह नियम है जिसके अनुसार व्यक्ति को अपनी जाति, क्षेत्र तथा सामाजिक स्थिति के सदस्य के साथ ही विवाह करने की अनुमति दी जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि व्यावहारिक रूप से अन्तर्विवाह के नियम का सम्बन्ध तीन प्रकार के अन्तर्विवाहों से है 1. जाति-अन्तर्विवाह 2. क्षेत्र अन्तर्विवाह 3. वर्ग अन्तर्विवाह। इसलिए केतकर ने कहा है अन्तर्विवाह के कारण विवाह का क्षेत्र कुछ परिवारों तक सीमित रह जाता है। डॉ० रिवर्स ने कहा है कि अन्तर्विवाह से अभिप्राय है उस नियम का जिसमें अपने समूह में से जीवन-साथी का चुनाव अनिवार्य होता है।

धर्मशास्त्र प्रत्येक हिन्दू को अपने वर्ण में ही विवाह का निर्देश देता है। परन्तु व्यावहारिक रूप में, प्रत्येक वर्ण अनेक जातियों और उपजातियों में विभाजित है और ये उपजातियाँ फिर अनेक भागों में विभाजित हो। ये सभी मात्र एक-एक अन्तर्विवाही समूह है। इस कारण अन्तर्विवाह की सीमा आज वर्ण या जाति तक विस्तृत नहीं, बल्कि वास्तव में उपजाति या उससे भी छोटे समूह में सीमित और संकुचित है।

वैदिक और उत्तर वैदिक काल में अन्तर्विवाह का क्षेत्र काफी विस्तृत था और उस समय विस्तृत क्षेत्र में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एक दूसरे में वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित कर सकते थे जैसा कि मनु महाराज ने स्पष्ट किए थे।

अन्तर्विवाह के कारण:

अन्तर्विवाह के क्षेत्र को इस प्रकार सीमित करने के कई प्रजातीय एवं सांस्कृतिक कारण रहे हैं इनमें से प्रमुख कारक निम्न हैं:-

1. प्रजाति मिश्रण पर रोक:-
धीरे-धीरे भारतवर्ष में अनेक प्रजातीय समूह का जमघट होने लगा और इनमें प्रजातीय और सांस्कृतिक भिन्नता अत्यधिक होने के कारण प्रत्येक समूह अपने समूह के अन्दर ही विवाह करना पसन्द किए, जो अन्तर्विवाह को दृढ़ता प्रदान किया।

2. जन्म पर अधिक बल:-
प्रारंभ में व्यक्ति को उसके कर्म के आधार पर आंका जाता था किन्तु धीरे धीरे जन्म का महत्व बढ़ा और रक्त शुद्धता की भावना ने जोर पकड़ा, फलस्वरूप अन्तर्विवाह का पनपना स्वभाविक हो गया।

3. जैन एवं बौद्ध धर्म का विकास:-
जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म का उदय होने से ब्राह्मण के धार्मिक एवं सामाजिक प्रस्थिति में गिरावट आई। अतएव ब्राह्मण अपनी मर्यादा एवं धर्म की रक्षा के लिए अन्तर्विवाह नियम का अनुकरण पर बल दिए।

4. बाल विवाह:-
मध्य युग बाल विवाह का प्रारंभ हुआ, जिससे अन्तर्विवाह का पालन सुविधा से होने लगी।

5. मुसलमानों का आक्रमण:
मुसलमान के आक्रामक स्वभाव के कारण, हिन्दु अपनी जाति एवं धर्म सुरक्षा के लिए अन्तर्विवाह का नियम लागू किए।

इस प्रकार व्यावसायिक ज्ञान, जाति पंचायत, और सामाजिक सम्पर्क के कारण अन्तर्विवाह भारतीय समाज निर्णायक एवं प्रभावकारी समूह की काम किया है। इधर सन 1872 में विशेष विवाह अधिनियम एवं 198 1949 में हिन्दू विवाह वैधकरण अधिनियम से अन्तर्विवाह की वैधानिकता कमजोर हो गई। अब अन्तर्विवाह का प्रचलन जाति की नैतिक शक्ति और कानून के बढ़ते प्रभाव से तथ्यहीन बनता जा रहा है।